(1)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी–2018/पीसीपीएनडीटी/2019/ दिनांक : 23/01/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं
समस्त नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान ।

विषयः–सोनोग्राफी कोर्स 2018 (पीसीपीएनडीटी एक्ट–1994 एवं नियम–2014) में उपस्थिति प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः–चैयनमैन, नीट पीजी काउन्सिलिंग–2018 एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविधालय एवं नियंत्रक के आदेश क्रमांक 36437 दिनांक 26.12.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा 6 माह सोनोग्राफी कोर्स (पीसीपीएनडीटी एक्ट–1994 एवं नियम–2014) के तहत दिनांक 26.12.2018 को काउन्सिलिंग आयोजित कर अभ्यार्थियों की नीट पीजी–2018 की योग्यता सूची के अनुसार मेरिट कम प्राथमिकता के आधार पर उनके नाम सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में आंवटन किया गया है।

अतः संलग्न चयन सूची के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज0,जयपुर के पत्रांक प01(1)चिस्वा/2/2019/आईडी/91 जयपुर दिनांक 21.1.2019 के क्रम में लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित चिकित्सको को जिनका सेवारत कोटे/गैर सेवारत कोटे से चयन हुआ है उनमें से जो चिकित्सक पीजी नहीं है (स्त्री रोग विभाग को छोडकर) उनसे नियमानुसार दो वर्ष की राज्यसेवा का बन्ध पत्र (15 लाख रूपये) प्राप्त कर सम्बन्धित मेडिकल कालेज हेतु कार्यमुक्त करे । कार्यमुक्ति की पालना रिपोर्ट एवं मूल बन्ध पत्र निदेशालय को अविलम्ब भिजवाये

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी–2018/पीसीपीएनडीटी/2019/1485 दिनांक : 23/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/झालावाड को भेजकर अनुरोध है कि कोर्स पूर्ण करने के पश्चात चिकित्सको को निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु कार्यमुक्त करे ।
4. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों में पदस्थापित चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी कोर्स 2018 में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करवाने की कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय सूची विभागीय वेब–साईट पर अप–लोड कर सम्बन्धित को ई–मेल द्वारा भिजवायें (सूची सलग्न)।
7. रक्षित पत्रावली ।

23-1-19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनों तम्बाकू नहीं

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाक:प0 12(1)चिस्वा/2/2019/आई.डी. 91 जयपुर,दिनांक: 21.1.19

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:– पीसीपीएनडीटी कोर्स में चयनित चिकित्सको को कार्यमुक्त करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि जिन सेवारत चिकित्सको का (संलग्न सूची के अनुसार केवल पात्र चिकित्सकों को) सेवारत कोटे/गैर सेवारत कोटे से पीसीपीएनडीटी के तहत छः माह के सोनोग्राफी कोर्स में चयन हुआ है, उनमें जो चिकित्सक पीजी नहीं है (स्त्री रोग विभाग को छोड़कर) उनसे नियमानुसार दो वर्ष की राज्य सेवा का बन्ध पत्र प्राप्त करने के उपरान्त चयनित कोर्स हेतु कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

अत्यावश्यक

कार्यालय संयोजक, नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल) प्रवेश मण्डल–2018 एवं प्रधानाचार्य
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर
(राजस्थान)

फोन.नं.– 0141–2619020 फैक्स नं.– 0141–2619171 ई.मेल–officeprincipalsmsmc@gmail.com

क्र :एफ/ सी/शैक्षणिक/स्टेट–पीजी/पीसीपीएनडीटी/18/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प.2(26)नि.चि.शि./सामान्य/पीसीपीएनडीटी/पार्ट–1/2014/3098 दिनांक 09.05.2017 की अनुपालना में चेयरमैन, नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल) प्रवेश मण्डल–2018 एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, जयपुर द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 09.01.2014 के अनुसरण में 6 माह सोनोग्राफी कोर्स (पीसीपीएनडीटी एक्ट–1994 एवं नियम–2014) के तहत् पूर्व में जारी मेरिट सूचि के अनुसार द्वितीय सत्र की काउन्सिलिंग दिनांक 26.12.2018 को आयोजित कर निम्न अभ्यार्थियों को नीट पीजी–2018 की योग्यता सूची के अनुसार मेरिट कम प्राथमिकता के आधार पर उनके नाम सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेजों में आवंटन किया गया है :–

Sr. No	Registration ID	Name of Candidates	NS/INS	Category	NEET Score	Allotted College
1.	180100454911	Dr. Sonu Kumar	INS	GEN	381	SMS MC, Jaipur
2.	1805125990	Dr. Kamal Kumar Sharma	INS	GEN	380	SMS MC, Jaipur
3.	180104723361	Dr. Amit Kumar Mittal	INS	GEN	380	SMS MC, Jaipur
4.	180099498734	Dr. Lokendra Singh Rathore	INS	GEN	358	SPMC, Bikaner
5.	180100725567	Dr. Devendra Kumar Bansal	INS	GEN	354	SMS MC, Jaipur
6.	180100915092	Dr. Amit Pareek	INS	GEN	353	SMS MC, Jaipur
7.	1805066735	Dr. Aradhana Khiyani	INS	GEN	352	SMS MC, Jaipur
8.	180100691561	Dr. Sunil Kumar Khandelwal	NS	GEN	350	SMS MC, Jaipur
9.	1805000877	Dr. Rajendra Kumar Sharma	INS	GEN	342	SMS MC, Jaipur
10	1805058313	Dr. Deependra Bindal	INS	GEN	334	GMC, Kota
11	180100976617	Dr. Bhuvneshwar Sharma	INS	GEN	328	SMS MC, Jaipur
12	1805004021	Dr. Vijay Pal Verma	INS	SC	325	SMS MC, Jaipur
13	180099691404	Dr. Kamlesh Kumar Jain	INS	GEN	322	RNT MC, Udaipur
14	1805061194	Dr. Rajvala Choudhary	INS	OBC	312	SMS MC, Jaipur
15	180108459861	Dr. Yogesh Kumar Mittal	NS	SC	305	JLN MC, Ajmer
16	180100326945	Dr. Sonia	INS	OBC	304	SMS MC, Jaipur
17	180100712864	Dr. Balveer Singh Gurjar (Subject to Submission of NOC from Government)	NS	OBC	300	SMS MC, Jaipur
18	1805060109	Dr. Abdul Azad	INS	OBC	291	SMS MC, Jaipur
19	180100960024	Dr. Surjeet Singh	INS	OBC	286	RNT MC, Udaipur
20	1805044864	Dr. Ruby Soni	NS	GEN	269	SNMC, Jodhpur

उक्त अभ्यार्थी दिनांक 31.12.2018 तक अपनी रिपोर्टिंग आंवटित मेडिकल कॉलेज में प्रस्तुत कर फीस (20,000/–रू.) जमा करवाकर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

6 माह का सोनोग्राफी कोर्स का द्वितीय शैक्षणिक सत्र दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2018 तक रहेगा।

चैयरमैन,
नीट पी.जी.काउन्सिलिंग–2018
एवं प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक

क्रमांक :एफ/ सी/शैक्षणिक/स्टेट–पीजी/पीसीपीएनडीटी/18/36437 दिनांक : 26/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. नि सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्रुप–1, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. नि क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अ रिक्त निर्देशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजि ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपनी विशिष्ठता में रिपोटिंग करने की सूचना इस कार्यालय को दिनांक 31.12.2018 को सांय 04 बजे तक ई–मेल के द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।